<u>न्यायालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–चूरू (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी – **अजय कुमार पूनिया, आर.जे.एस.**

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या– <u>CIS No. 277/2019</u>

<u>CNR N.– RJCH020007262019</u>

1– ज्योति पत्नी मुरली मनोहर आयु 39 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 16, नई सडक, चूरू (राज.) ।

---- प्रार्थिया

बनाम

1– कांता प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्यामसुंदर

2– मीनू शर्मा पत्नि श्री कांताप्रसाद निवासीगण वार्ड नंबर 16, डॉक्टर सुशील के घर के सामने, नई सडक, जिला चूरू निवासीगण

--- प्रत्यर्थीगण

<u>घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005(2005 का 45) की धारा 12 के अधीन आवेदन</u>

<u>उपस्थिति</u>ः–

1. श्री संजीव वर्मा विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थीया की ओर से।
2. श्री श्यामलाल सैनी विद्वान अधिवक्ता– प्रत्यर्थीगण की ओर से ।

–निर्णय– **दिनांक– 10.08.2026**

1– प्रार्थीया ज्योति शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया का विवाह दिनांक 2/12/10 को मुरली मनोहर पुत्र स्व. श्यामसुंदर के साथ बमुकाम जयपुर में सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीया की शादी से पूर्व ही प्रार्थीया के ससुर की मृत्यु हो गई थी, प्रार्थीया के ससुराल में प्रार्थीया की सास के अलावा उसका एक जेठ कांता प्रसाद व उसकी पत्नि श्रीमति मीनू भी है, जो वर्तमान में अपने पुत्र पारस के साथ प्रार्थीया के साझी घर में रिहायश कर रहे हैं। प्रार्थीया के ससुर स्व. श्यामसुंदर वन विभाग में फोरस्टर के पद पर सरकारी नौकरी करते थे, जिनकी दिनांक 22/02/10 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके तुरंत बाद से ही कांता प्रसाद व उसकी पत्नि मीनू ने प्रार्थीया की सास के साथ घरेलू हिंसा कारित करनी शुरु कर दिया और जिद करके प्रार्थीया के ससुर की मृत्यु के संबंध में मिली मुआवजा की समस्त नकद धनराशि अपने कब्जे में कर ली, जिसके चलते प्रार्थीया की सास आर्थिक संकट से घिर गई। प्रार्थीया की सास ने अपने निजी स्तर पर रुपयों की

(**अजय कुमार पूनिया**)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला चूरू

व्यवस्था करके प्रार्थीया के पति मुरली मनोहर के सहयोग से दिनांक 3/07/10 को प्रार्थीया की ननद श्रीमती कमला की शादी की। जिसमें प्रार्थीया के जेठ कांता प्रसाद व उसकी पत्नि श्रीमति मीनू शर्मा ने कोई सहयोग नहीं किया। उसके बाद जब प्रार्थीया का उसके पति मुरली मनोहर के साथ विवाह तय हुआ तो उसमें भी कांता प्रसाद ने प्रार्थीया की सास व व्यथिता के पति को कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया, जिस पर प्रार्थीया के पति ने स्वयं अपने निजी व्यक्तियों से रुपये उधार लेकर प्रार्थीया के साथ शादी की और बाद में बैंक से ऋण लेकर उक्त भुगतान किया गया। प्रार्थीया की शादी के बाद जेठ कांता प्रसाद व उसकी पत्नि श्रीमति मीनू प्रार्थीया व उसकी सास के साथ घरेलू हिंसा और बढ़ गई, प्रार्थीया की सास के साथ साथ प्रार्थीया का सारा स्वीधन उसके जेठ कांता प्रसाद व उसकी पत्नि मीनू शर्मा ने अपने कब्जे में कर लिया, जिसे उन दोनो ने मिलकर कुछ बेच दिया और कुछ गिरवी रख दिया। जिस पर मजबूरन प्रार्थीया को अब किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। साझी घर में रहने के दौरान भी कांता प्रसाद व मीनू प्रार्थीया के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करते, जिसका विरोध करने पर कांता प्रसाद व उसकी पत्नि ने प्रार्थीया की सास के मना करने के बावजूद प्रार्थीया साझी घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद से प्रार्थीया वर्तमान में किराये के मकान में रह रही है। अतः प्रार्थीया को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 18, 19, 20, 22 के तहत अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया ।

2– जिसका प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीया के पति मुरली मनोहर को प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण सहमति स्वरूप अनुकम्पा नियुक्ति पर नौकरी दिलवायी थी। शादी के पश्चात प्रार्थीया बडे शहर की होने के कारण प्रतिदिन प्रत्यर्थी संख्या 01 की माता कृष्णा देवी व परिवार वालों को तंग परेशान करना शुरू कर दिया और शादी के छः माह पश्चात ही अलग रहने लग गयी, उसके पश्चात भी प्रार्थीया द्वारा प्रत्यर्थीगण को व उसकी माता को तंग परेशान किया जाने लगा तथा अपना हिस्सा मांगा जाने लगा क्योकि प्रार्थीया की मंशा पुश्तैनी हिस्सा विक्रय कर जयपुर में बसने की शुरू से ही रही थी, प्रार्थीया द्वारा पारिवारिक सामजस्य बिगाड कर पुश्तैनी मकानात का वर्ष 2017 में बंटवारा करवा दिया और अपना हिस्सा प्रार्थीया द्वारा अपने पति से विक्रय करवाकर जयपुर जाकर बस गयी। प्रार्थीया लालची किस्म की महिला है, प्रार्थीया कृष्णा देवी के आये हिस्से की भूमि को विक्रय करने के लिये बार बार कृष्णा देवी को

(**अजय कुमार पूनिया**)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला चूरू

तंग परेशान करती रही, जिसका विरोध करने पर प्रत्यर्थीगण को तंग परेशान व खर्चे से जैरबार करने के लिये दिनांक 27.04.2019 को काल्पनिक आधारो पर घरेलु हिंसा अधिनियम का दुरूपयोग कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीया का सांझी गृह से वर्ष 2014 से प्रार्थीया अपने पति के साथ अलग रह रही है क्योकिं प्रार्थीया द्वारा अपने पति के साथ मिलकर प्रत्यर्थीगण व उसकी माता कृष्णा देवी को शादी के पश्चात ही तंग परेशान प्रताडित किया जाने लगा तथा विवाह के छः माह पश्चात ही प्रार्थीया व उसके पति अलग हो गये तथा अपना हिस्सा मांगने लगे। प्रार्थीया द्वारा रोज रोज तंग परेशान करने से दिनांक 30.10.2017 को व्यथिता की सास कृष्णा देवी को भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो पुश्तैनी मकानों का बंटवारानामा कर प्रार्थीया के पति को हिस्सा दे दिया गया था। उसके पश्चात भी प्रार्थीया ने प्रत्यर्थीगण व उसकी माता को तंग परेशान करना नहीं छोडा और दिनांक 30.11.2017 को व्यथिता के पति मुरली मनोहर द्वारा अपना हिस्सा विक्रय कर अपने ससुराल जयपुर जाकर बस गया, जिस कारण प्रार्थीया व प्रत्यर्थीगण केवल मात्र छः माह की साथ रहे है। प्रार्थीया अपना सारा सामान, गहने जेवरात शादी के 6 माह ही लेकर अलग रहने लग गयी तथा वर्ष 2014 में प्रार्थीया अपना सारा सामान लेकर किराये के मकान में अपने पति के साथ रहने लग गयी। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थीया को कभी भी सांझी घर से बारह रहने के लिये मजबूर नहीं किया ना ही किसी प्रकार की कोई घरेलु हिंसा कारित की है। प्रार्थीया ने इस अधिनियम के प्रावधानों की मन्शा के विपरीत गलत रूप से महज प्रत्यर्थी को तंग परेशान व प्रताड़ित करने के लिये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है इस कारण उक्त प्रार्थना–पत्र चलने काबिल नहीं है अंत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3– बहस प्रसंज्ञान सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

4– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने पेश किये गये प्रार्थना पत्र के अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में किये गये अनुतोष को न्यायालय हाजा स्वीकृत करे तथा इसके अतिरिक्त अन्य आदेश पारित करे जो माननीय न्यायालय न्यायहित में और घरेलू हिंसा के व्यथित व्यक्ति को सरंक्षित करने के लिये मामले के दिये गये तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन ठीक समझे, इत्यादि । इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र निराधार है जिसे

(**अजय कुमार पूनिया**)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला चूरू

केवल प्रत्यर्थीगण को तंग व परेशान करने हेतु पेश किया है, जिसे मय खर्चा हर्जा के खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

5– उभय पक्षों के अभिवचनों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6– चूंकि हस्तगत आवेदन प्रार्थिया द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस कारण इस आवेदन में अनुतोष प्राप्ति के लिये प्रार्थीया को प्रथम दृष्ट्या यह साबित करना होगा कि–

1– क्या प्रार्थीया के साथ घरेलू नातेदारी में रहने के दौरान किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित हुई और क्या वे व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आती है?

2– क्या प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

7– उक्त बिंदु के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रार्थीया की ओर से किसी भी प्रकार की कोई भी साक्ष्य प्रकरण में पेश नहीं की गई है । साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई हो ।

परिणामतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश

8– परिणामतः प्रार्थीया ज्योति पत्नी मुरली मनोहर आयु 39 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 16, नई सडक, चूरू (राज.) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 विरूद्ध प्रत्यर्थीगण कांताप्रसाद वगैरह अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क दी जावें ।

(**अजय कुमार पूनिया**)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला चूरू

9– निर्णय आज दिनांक 10.08.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(**अजय कुमार पूनिया**)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला चूरू